न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
बइजलास दिव्या, आर.ए.एस.
अनुवान सुनिता आदि बनाम रूघाराम आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) रा0 का0 अधि0 1955
प्रार्थना पत्र सं. 60/2024
निर्णय दिनांक 20/05/2025

1. सुनीता देवी पत्नी राकेश सिद्ध जाति सिद्ध निवासी बादड़िया तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. सरस्वती पत्नी लादूराम जाति नाई निवासी बादडिया तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. रूघाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी पिचकराई ताल तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू

–अप्रार्थीगण

उपस्थितिः

1. श्री भागीरथ सिद्ध वास्ते प्रार्थीनी
2. श्री महेन्द्र कुमार सींवर वास्ते अप्रार्थी सं. 1
3. राज पैरोकार अप्रार्थी सं. 2

निर्णय

प्रार्थना पत्र से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख० नं0 31 तादादी 4.6100 हैक्टेयर रोही मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में स्थित है। प्रार्थीगण मूलतः गांव बादड़िया के निवासी है जो बादड़िया से जाकर कृषि भूमि काश्त करते हैं। अप्रार्थी सं० 1 की कृषि भूमि ख० नं0 194/30 तादादी 1.8300 हैक्टेयर रोही मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में प्रार्थीगण के खेत के पश्चिमी तरफ चीपती स्थित है। प्रार्थीगण बादडिया से पिचकराई ताल आते है और रोही पिचकराई ताल के खेत ख०नं० 351 में से गुजरने वाले सदामत के रास्ता से होते हुए कृषि भूमि खेत ख०नं० 7 रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर में प्रवेश करते है, ख०नं० 7 की उतरी–पश्चिमी कूट से गुजरने वाले कटानी रास्ता ख0नं0 15 से फंटकर सदामत के रास्ता से होते हुए ख0नं0 29 में प्रवेश करते है जिससे होकर ख0नं0 196/30 के उतरी पश्चिमी कॉर्नर से होते हुए सदामत के रास्ते से खेत ख०नं० 195/30 में से सदामत के रास्ते से होते हुए अप्रार्थी सं० 1 के खेत ख०नं० 194/30 में से सदामत के रास्ते से फंटकर अप्रार्थी सं० 1 के खेत की उत्तरी पश्चिमी कूंट से होते हुए अपने खेत में प्रवेश करते है। इस रास्ता से बिना किसी विघ्न बाधा के शांतिपूर्वक प्रार्थीगण सदामत से आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीगण के उक्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व अंशशुमार माना जावे। अप्रार्थी सं० 1 ने वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत ख० नं0 31 में सदामत के रास्ता से फंटकर जाने वाले उक्त रास्ता को बन्द कर दिया है जिस कारण प्रार्थीगण का अपने खेत ख० नं0 31 में आवागमन करना संभव नहीं रहा है और प्रार्थीगण के पास अपने खेत में आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससे प्रार्थीगण को फसल काश्त करने में भारी परेशानी व असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा

खण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ता को अप्रार्थी सं० 1 के खेत ख० नं0 194/30 में से चालु करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता अप्रार्थी सं० 1 ने अपने खेत में से बन्द कर दिया गया है। प्रार्थीगण सदामत से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में सदामत के रास्ता से फंटकर अप्रार्थी सं० 1 के खेत ख०नं० 194/30 में से लाल रंग से दर्शित रास्ता A जव B से होते हुए अपने खेत ख० नं0 31 में आवागमन करते है। प्रार्थीगण नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित रास्ता । जव ठ जो अप्रार्थी सं० 1 के खेत से गुजरता है को राजस्व रिकॉर्ड में 15 फुट चौड़ाई का कायम करवाना चाहते है। ताकि प्रार्थीगण को ऊंटगाडा ट्रेक्टर ट्रॉली आदि साधनों के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी सं० 1 ने अपने खेत में से प्रार्थीगण का खेत में आवागमन का रास्ता बन्द कर दिया है और मौके पर आवागमन पूर्णतया अवरूद्ध कर दिया है। यदि अप्रार्थी सं० 1 द्वारा यह रास्ता नहीं खोला गया तो प्रार्थीगण फसल काश्त करने से वंचित हो जायेंगे और प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं० 1 के खेत ख० नं0 194/30 में से होकर नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये गये रास्ता A जव B मे से आवागमन करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का रास्ता खुलवाया जाना अतिआवश्यक है।

प्रार्थीगण अपने खेत ख० नं0 31 में जाने के लिए अप्रार्थी सं० 1 के खेत ख० नं0 194/30 में से नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये गये रास्ता A जव B से होकर हमेशा से आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं० 1 के खेत ख० नं० 194/30 में से नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये गये रास्ता A जव B को 15 फुट चौड़ाई का कटानी रास्ता कायम करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के अलग खसरा नम्बर कायम करवाना चाहते है। जिसके लिए वर्तमान डीएलसी दर से अप्रार्थी सं. 1 को प्रतिकर देने को प्रार्थीगण तैयार है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं० 1 के खेत ख०नं० 194/30 तादादी 1.8300 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर के उतरी–पश्चिमी कॉर्नर से होकर नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये गये **A** जव **B** रास्ता को 15 फुट चौडाई का रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता अंकन कर अलग खसरा नम्बर रास्ता के कायम कर रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाया जाने का आदेश अप्रार्थी सं० 2 को दिया जावे उक्त रास्ता में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि प्रार्थीगण देने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार सींवर ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार भानीपुरा ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया लेकिन प्रकरण रास्ते से संबंधित होने के कारण मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार भानीपुरा ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन मु. नं. 60/2024 के संबंध में मौके पर अंशधारक सरस्वती पत्नी लादुराम जाति नाई निवासी बादडिया के पुत्र कृष्ण पुत्र लादूराम, अप्रार्थी रूघाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी पिचकराई ताल की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। मौके पर रेख रावतसर के ख.नं. 729, 196/30, 195/30, 194/30, 24 से होते हुए सदामत का रास्ता चल रहा है जो ख.नं. 31 में से होकर नहीं गुजर रहा है ख. नं. 194/30 के खातेदार रूघाराम पुत्र सुरजाराम मेघवाल व अन्य उपस्थित व्यक्तियों के अनुसार ख. नं. 24 में चल रहे सदामत के रास्ते से पूर्व की और ख. नं. 23 में से होते हुए ख. नं. 31 में जाते थे लेकिन वर्तमान में उक्त रास्ता बंद है।

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

सुनिता देवी द्वारा ख. नं. 194/30 में चल रहे सदामत के रास्ते से होते हुए ख. नं. 194/30 की उतरी सीमा से होते हुए ख. नं. 31 में जाने के लिए रास्ता देने की मांग की गयी है लेकिन उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर नहीं चल रहा है। 194/30 के खातेदार रूघाराम पुत्र सुरजाराम मौके पर उपस्थित थे लेकिन उन्होंने रास्ता देने से मना कर दिया और कहा कि हमारे खेत में ख. नं. 31 में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं गुजरता था। प्रार्थी द्वारा 195 फीट लंबाई तथा चौडाई 15 फीट की मांग की गयी है जिसकी क्षेत्रफल गणना 2925 वर्ग फीट है वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर प्रति बीघा 48309 रूपये है। प्रति बीघा के हिसाब से कुल किमत 5190 रूपये बनती है तथा दुगनी कीमत 10380 रूपये बनती है। जिसमें डीएलसी के अनुसार 10380 रूपये को जमा करवाया जाना प्रस्तावित है। ख. नं. 31 में जाने के लिए निकटतम रास्ता ख. नं. 194/30 व 24 से गुजरता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग की लंबाई लगभग 195 फुट व चौड़ाई 15 फुट की मांग की गयी है। अप्रार्थी रूघाराम पुत्र सुरजाराम मेघवाल चाहे गये रास्ते को देने में सहमत नहीं है। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के इस खातेदारी के खेत में आवागमन करने के लिये इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिये कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण को इस आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा अनेक्शर में **ए** से **बी** लाल रंग से दिखाया गया 15 फुट चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने तथा प्रस्तुत नक्शा अनेक्शर में **ए** से **बी** स्थान तक जो रास्ता लाल रंग से अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख. नं. 194/30 में दिखाया गया है। प्रार्थीगण के खेत ख० नं0 31 तादादी 4.6100 हैक्टेयर रोही मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर में आवागमन हेतु यह रास्ता सदामत के लिये राजस्व रिकार्ड में 15 फुट चौड़ा अभिलिखित किया जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने दौराने बहस कथन किया कि खेत ख़सरा नम्बर 194/30 में से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 31 तादादी 4.6100 हैक्टेयर रोही मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर में जाने का कोई रास्ता नहीं है तथा ना कभी रहा है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलौकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थी सं. 1 के खेत की जमाबंदी व नक्शे कि प्रमाणित प्रतियां पेश की तथा नक्शा अनेक्श्चर पेश किया, मुताबिक जमाबंदी पक्षकारान के खातेदारी भूमि के संबंध में कोई विवाद नही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 31 तादादी 4.6100 हैक्टेयर रोही मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में स्थित है। प्रार्थीगण के इस खातेदारी के खेत में आवागमन करने के लिये इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है कानून के प्रावधानों के अनुसार एवं प्रार्थीगण की आवश्यकता के अनुसार उसके खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 31 तादादी 4.6100 हैक्टेयर रोही मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर में आवागमन करने हेतु प्रार्थीगण रास्ता मौके पर कम से कम 15 फुट चौड़ा होना आवश्यक है इसलिये कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण को इस आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा अनेक्शर में **ए** से **बी** लाल रंग से दिखाया गया 15 फुट चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकार है।

अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नम्बर 194/30 तादादी 1.8300 हैक्टेयर में से अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 31 तादादी 4.6100 हैक्टेयर में प्रवेश करती है जो रास्ता इस दावा के साथ में प्रस्तुत नक्शा अनेक्शर में **ए** से **बी** लाल रंग से दिखाया गया है तथा पूर्व खातेदार भी इसी रास्ते से

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

आवागमन करते थे। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा अनेक्शर दिखाये गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने खेत में आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिसकी पुष्टी मौका रिपोर्ट से होती है प्रकरण में तहसीलदार भानीपुरा से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मंगवायी गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से पुष्ट प्रमाणित होता है इसलिए यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाये जाने पर स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नम्बर 194/30 तादादी 1.8300 हैक्टेयर से होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 31 रोही मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा एनेक्श्चर में मार्क **ए** से **बी** तक जो रास्ता लाल रंग से दर्शाया गया है 15 फीट चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाता है। नक्शा अनेक्श्चर को निर्णय का भाग समझा जावे, चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की जोत प्रार्थीगण की जोत के चिपती मौजूद है, मगर भूमि के बदले भूमि दिया जाना संभव नही है क्योंकि सभी जोत चिपती हुई नहीं है, नक्शा अनेक्श्चर में लाल रंग से दर्शाई गई मार्क ए से **बी** तक 15 फीट चौड़े रास्ते की भूमि का कुल रकबा जो बनता है जिसकी डीएलसी दर से दोगुनी राशि की गणना कर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण अदा करेंगे, जो नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करवाई जाकर उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में से कम कर उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा एनेक्श्चर निर्णय का भाग रहेगा। भूमि रहन यथावत रहेगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार भानीपुरा को आदेश जारी किया जावे।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)